Shodhaamrit, Vol.-2; Issue-2 (July-Dec.) 2025 : Page No.-194-201

शोधामृत

(कला, मानविकी और सामाजिक विज्ञान की अर्धवार्षिक, सहकर्मी समीक्षित, मूल्यांकित शोध पत्रिका)

ISSN : 3048-9296 (Online)
3049-2890 (Print)
IIFS Impact Factor-2.0
Vol.-2; issue-2 (July-Dec.) 2025
Page No- 194-201

©2025 Shodhaamrit
https://shodhaamrit.gyanvividha.com

1. रोशनी भारती
सहायक प्राध्यापिका, शिक्षा विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़.

2. कुमारी सुकेशिनी जैपाल खोब्रागडे
सहायक प्राध्यापिका, शिक्षा विभाग, माधव विश्वविद्यालय, पिण्डवाडा (सिरोही), आबूरोड.

Corresponding Author :
रोशनी भारती
सहायक प्राध्यापिका, शिक्षा विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़.

श्रवण बाधित बच्चों के लिए उपलब्ध शैक्षिक सुविधाओं का अध्ययन

सारांश : श्रवण बाधित बच्चों के समुचित विकास में शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह न केवल उनके बौद्धिक और भाषाई विकास को प्रोत्साहित करती है, बल्कि उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का अवसर भी प्रदान करती है। श्रवण बाधा केवल सुनने की अक्षमता नहीं है, बल्कि यह संचार, भाषा, सामाजिक सहभागिता और व्यवहारिक विकास को भी प्रभावित करती है। अतः श्रवण बाधित बच्चों के लिए विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप शैक्षिक प्रावधान आवश्यक हैं। इस शोध में भारत में श्रवण बाधित बच्चों के लिए उपलब्ध शैक्षिक सुविधाओं, विशेष विद्यालयों, शिक्षण पद्धतियों, शिक्षण सामग्री, तकनीकी उपकरणों और सरकारी योजनाओं का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन से पता चला कि भारत सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम (2016), समावेशी शिक्षा नीति, और समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से इन बच्चों की शिक्षा को सशक्त बनाने हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग हैंडीकैप्ड, राष्ट्रीय बधिर विद्यालय, और राज्य स्तरीय संस्थान शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं। फिर भी, व्यवहारिक स्तर पर चुनौतियाँ विद्यमान हैं, जैसे ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में विशेष विद्यालयों की कमी, प्रशिक्षित शिक्षकों और सांकेतिक भाषा दुभाषियों की अपर्याप्तता, तकनीकी संसाधनों की सीमित उपलब्धता, तथा समाज में नकारात्मक दृष्टिकोण। इसलिए आवश्यक है कि शिक्षा प्रणाली को और अधिक सशक्त, समावेशी और तकनीकी दृष्टि से उन्नत बनाया जाए। शिक्षक प्रशिक्षण, परिवारों की जागरूकता और समाज में संवेदनशीलता सुनिश्चित करने से श्रवण बाधित बच्चे आत्मनिर्भर, आत्मसम्मानपूर्ण और समाज के सक्रिय सदस्य बन सकते हैं।

बीज शब्द : श्रवण बाधित, विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा, तकनीकी संसाधन, सरकारी योजनाएँ, सामाजिक संवेदनशीलता ।

पृष्ठभूमि : मानव जीवन के सर्वांगीण विकास में शिक्षा की भूमिका

अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल व्यक्तित्व निर्माण और सामाजिक समायोजन में सहायता करती है, बल्कि नैतिक मूल्यों, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के विकास में भी आधारशिला का कार्य करती है। शिक्षा की समानता की बात तब और महत्वपूर्ण हो जाती है जब समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेषकर विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों, को समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध हों। इसी संदर्भ में श्रवण बाधित बच्चों की शिक्षा एक संवेदनशील और आवश्यक विषय बन जाती है। श्रवण बाधित बच्चे वे हैं जिनकी श्रवण क्षमता आंशिक या पूर्ण रूप से प्रभावित होती है। इसके कारण वे ध्वनियों को सुनने, समझने और उत्तर देने में कठिनाई अनुभव करते हैं। परिणामस्वरूप, ये बच्चे सामान्य बच्चों की तरह भाषा अधिग्रहण, संचार, सामाजिक संपर्क और भावनात्मक अभिव्यक्ति में पीछे रह जाते हैं। श्रवण बाधा केवल शारीरिक अक्षमता नहीं है, बल्कि यह बच्चे के मानसिक, सामाजिक और शैक्षणिक जीवन को भी प्रभावित करती है। इसलिए ऐसे बच्चों के लिए विशेष शैक्षिक प्रावधान और शिक्षण विधियाँ आवश्यक हैं, जो उनकी क्षमताओं को पहचान कर उन्हें विकसित करने में सहायता करें।भारत में शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 21(क) के अनुसार 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। इसे सशक्त करने के लिए सरकार ने अनेक नीतियाँ और अधिनियम लागू किए हैं। इनमें प्रमुख है विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम (2016), जिसने विकलांग बच्चों को समान अवसर, समावेशी शिक्षा और समान पहुँच का अधिकार प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) ने भी समावेशी शिक्षा को प्राथमिकता दी है। नीति का उद्देश्य है कि कोई बच्चा शारीरिक, मानसिक या सामाजिक रूप से किसी भी प्रकार की बाधा से शिक्षा से वंचित न रहे। इसी दिशा में समग्र शिक्षा अभियान, सुगम्य भारत अभियान, और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसी योजनाएँ लागू की गई हैं, जो श्रवण बाधित बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करती हैं। भारत में श्रवण बाधित बच्चों के लिए अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग हैंडीकैप्ड (AYJNIHH), राष्ट्रीय बधिर विद्यालय (NIVH), NIEPID और राज्य स्तरीय विशेष विद्यालय सक्रिय हैं। ये संस्थान शिक्षा के साथ-साथ स्पीच थेरेपी, सांकेतिक भाषा प्रशिक्षण, मनोवैज्ञानिक परामर्श और पुनर्वास सेवाएँ भी प्रदान करते हैं। फिर भी, ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में विशेष विद्यालयों की कमी, प्रशिक्षित शिक्षकों की अपर्याप्तता, तकनीकी संसाधनों की सीमित उपलब्धता और परिवारों में जागरूकता का अभाव प्रमुख चुनौतियाँ हैं। सामाजिक असंवेदनशीलता और गलत धारणाएँ बच्चों के आत्मविश्वास और विकास को प्रभावित करती हैं। इस शोध पत्र का उद्देश्य श्रवण बाधित बच्चों के लिए उपलब्ध शैक्षिक सुविधाओं, संसाधनों और नीतियों का गहन अध्ययन करना है। इसके माध्यम से यह पता लगाने का प्रयास किया गया है कि वर्तमान व्यवस्थाएँ कितनी प्रभावी हैं, कहाँ सुधार की आवश्यकता है, और किस प्रकार एक अधिक समावेशी, सुलभ और संवेदनशील शैक्षिक प्रणाली बनाई जा सकती है।

शोध का औचित्य : छत्तीसगढ़ एक विकासशील राज्य है, जहाँ भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक विविधता अत्यधिक है। राज्य की एक बड़ी आबादी ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में निवास करती है, जहाँ शिक्षा की पहुँच सीमित है। इन परिस्थितियों में श्रवण बाधित बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करना एक गंभीर चुनौती बन जाती है। श्रवण बाधित बच्चों के लिए शिक्षा केवल ज्ञानार्जन का माध्यम नहीं है, बल्कि यह उन्हें आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और सामाजिक रूप से सक्रिय नागरिक बनने की दिशा में अग्रसर करती है। राज्य में समावेशी शिक्षा योजना (Inclusive Education for Disabled at Secondary Stage – IEDSS), राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की नीतियाँ, तथा सर्व शिक्षा अभियान (SSA) के अंतर्गत विशेष शिक्षण संसाधनों की व्यवस्था की गई है, फिर भी इन योजनाओं का प्रभाव सभी जिलों तक समान रूप से नहीं पहुँच पाया है। विशेषकर बस्तर, कोरबा, कांकेर, सरगुजा जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्रों में

विद्यालयों की कमी, प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, तथा संचार तकनीकी साधनों की अनुपलब्धता इस दिशा में प्रमुख बाधाएँ हैं। इस शोध का औचित्य इस तथ्य में निहित है कि छत्तीसगढ़ में श्रवण बाधित बच्चों के लिए जो शैक्षिक सुविधाएँ उपलब्ध हैं ,जैसे विशेष विद्यालय, समावेशी कक्षाएँ, श्रवण यंत्र, संकेत भाषा शिक्षण, और डिजिटल संसाधन उनकी वास्तविक स्थिति और प्रभावशीलता का आकलन आवश्यक है। केवल नीति निर्माण पर्याप्त नहीं है; उसके कार्यान्वयन की गुणवत्ता और क्षेत्रीय विषमता का अध्ययन भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, यह शोध राज्य सरकार, शैक्षणिक योजनाकारों, शिक्षकों और सामाजिक संस्थाओं के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज का कार्य करेगा। यह अध्ययन यह समझने में सहायता करेगा कि

- वर्तमान शैक्षिक योजनाओं का व्यावहारिक प्रभाव क्या है,
- श्रवण बाधित बच्चों को विद्यालयों में किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है,
- और किन सुधारात्मक कदमों के माध्यम से इन बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा से प्रभावी ढंग से जोड़ा जा सकता है।

इस प्रकार, यह शोध छत्तीसगढ़ राज्य में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में नीति-निर्माण, कार्यान्वयन तथा सामाजिक जागरूकता के लिए एक ठोस दिशा प्रदान करेगा।

अध्ययन का उद्देश्य :

श्रवण बाधित बच्चों के लिए उपलब्ध शैक्षिक सुविधाओं का अध्ययन करना।

1. विशेष विद्यालयों में उपलब्ध शिक्षण संसाधनों और तकनीकी उपकरणों का विश्लेषण करना।
2. सरकारी योजनाओं एवं नीतियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना।
3. शिक्षा प्राप्ति में आने वाली प्रमुख बाधाओं की पहचान करना।
4. सुधार के लिए सुझाव प्रस्तुत करना।

अनुसंधान पद्धति : वर्तमान शोध शीर्षक "श्रवण बाधित बच्चों के लिए उपलब्ध शैक्षिक सुविधाओं का अध्ययन – छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में" पर आधारित है। यह अध्ययन वर्णनात्मक (Descriptive Research Design) पद्धति के अंतर्गत किया गया है। इस शोध का उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य में श्रवण बाधित बच्चों के लिए उपलब्ध शैक्षिक सुविधाओं, संसाधनों, सरकारी योजनाओं तथा उनके क्रियान्वयन की स्थिति का मूल्यांकन करना है।

1. शोध की प्रकृति : यह शोध मुख्य रूप से वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक स्वरूप का है। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न जिलों में श्रवण बाधित बच्चों की शिक्षा से संबंधित सुविधाओं, शिक्षण संस्थानों, विशेष विद्यालयों, तथा सरकारी योजनाओं का गहन अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन में तथ्यों का वर्णन करने के साथ-साथ उनका विश्लेषण और व्याख्या भी की गई है, जिससे वास्तविक स्थिति का समग्र चित्र प्रस्तुत किया जा सके।

2. अध्ययन का क्षेत्र : अध्ययन का क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य तक सीमित है। इस राज्य के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों जैसे रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कोरबा और जगदलपुर को अध्ययन के लिए प्रतिनिधि जिलों के रूप में चुना गया है। इन जिलों में स्थित विशेष विद्यालयों, समावेशी शिक्षा केंद्रों और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों की कार्यप्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है।

3. डेटा के स्रोत : इस शोध में डेटा संकलन के लिए मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों (Secondary Sources) का उपयोग किया गया है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित स्रोतों से सामग्री प्राप्त की गई :

- छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की वार्षिक रिपोर्टें एवं आँकड़े।
- समग्र शिक्षा अभियान, छत्तीसगढ़ की रिपोर्टें एवं प्रशिक्षण दस्तावेज।
- राज्य पुनर्वास केंद्र (State Resource Centre for Inclusive Education) से प्राप्त सूचनाएँ।
- राष्ट्रीय बधिर विद्यालय (NIVH) तथा अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग हैंडीकैप्ड (AYJNIHH) के प्रादेशिक कार्यालयों से प्रकाशित रिपोर्टें।

- एनसीईआरटी, आरसीआई, और शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइटों पर उपलब्ध आँकड़े।
- संबंधित शोध पत्र, पुस्तकों, और केस स्टडी रिपोर्टों का विश्लेषण।

4. डेटा संग्रहण की विधि : शोध में दस्तावेजीय विश्लेषण पद्धति का प्रयोग किया गया है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से संबंधित सरकारी रिपोर्टों, विद्यालयों की वार्षिक प्रतिवेदन पुस्तिकाओं, और शिक्षा विभाग के ऑनलाइन पोर्टल्स से आवश्यक सूचनाएँ एकत्रित की गईं। साथ ही, कुछ चयनित विशेष विद्यालयों (जैसे रायपुर का बधिर आवासीय विद्यालय एवं बिलासपुर का श्रवण बाधित छात्र विद्यालय) के केस अध्ययन (Case Studies) का भी संदर्भ लिया गया, ताकि व्यवहारिक जानकारी प्राप्त हो सके।

5. डेटा विश्लेषण की विधि : संग्रहित आंकड़ों को वर्गीकृत कर विषयगत (Thematic) तथा तुलनात्मक (Comparative) विश्लेषण की विधि द्वारा अध्ययन किया गया। इसमें राज्य स्तर पर उपलब्ध सुविधाओं, शिक्षकों की संख्या, प्रशिक्षण की स्थिति, विद्यार्थियों की नामांकन दर, तथा तकनीकी उपकरणों की उपलब्धता का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है।

6. शोध की सीमाएँ :

1. अध्ययन छत्तीसगढ़ राज्य तक सीमित है; अतः इसके निष्कर्षों को राष्ट्रीय स्तर पर सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता।
2. अध्ययन मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है; प्राथमिक सर्वेक्षण या साक्षात्कार का उपयोग सीमित रहा है।
3. राज्य के कुछ दूरस्थ जिलों में अद्यतन डेटा की उपलब्धता सीमित रही, जिससे विश्लेषण आंशिक रूप से पूर्व रिपोर्टों पर आधारित रहा।

भारत में श्रवण बाधित बच्चों की शिक्षा की स्थिति : भारत एक विशाल और विविधता-पूर्ण देश है, जहाँ लगभग 63 लाख से अधिक व्यक्ति श्रवण बाधित (Hearing Impaired) हैं, जिनमें बड़ी संख्या 0–18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की है। यह समूह शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि सामाजिक, भाषाई और शैक्षणिक दृष्टि से भी विशेष सहायता का हकदार है। श्रवण बाधित बच्चों को सामान्य शिक्षा प्रणाली में समान अवसर और प्रभावी सीखने की प्रक्रिया प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है। सरकार ने इस दिशा में कई नीतियाँ और संस्थान स्थापित किए हैं। राष्ट्रीय बधिर विद्यालय (NIVH, देहरादून), अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग हैंडीकैप्ड (AYJNIHH, मुंबई), और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज (NIEPID, हैदराबाद) जैसे राष्ट्रीय संस्थान इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। ये संस्थान विशेष शिक्षकों का प्रशिक्षण, उपयुक्त शिक्षण पद्धतियाँ, ऑडियो-विजुअल सामग्री और तकनीकी उपकरण विकसित करते हैं, ताकि श्रवण बाधित बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। समावेशी शिक्षा योजना (Inclusive Education Programme) के तहत इन बच्चों को सामान्य विद्यालयों में पढ़ाई का अवसर प्रदान किया गया है, जिससे वे अपने साथियों के साथ सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जुड़ सकें। सर्व शिक्षा अभियान (SSA) और समग्र शिक्षा अभियान (Samagra Shiksha Abhiyan) विशेष शिक्षकों की नियुक्ति, श्रवण यंत्र वितरण और सांकेतिक भाषा प्रशिक्षण जैसी पहलें कर रहे हैं। Rehabilitation Council of India (RCI) द्वारा शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानक तय किए गए हैं, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) ने समावेशी शिक्षा और तकनीकी उपकरणों जैसे स्मार्ट हियरिंग एड्स, डिजिटल लर्निंग ऐप्स और सांकेतिक भाषा वीडियो के उपयोग पर विशेष बल दिया है। फिर भी चुनौतियाँ मौजूद हैं। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में विशेष विद्यालयों की संख्या सीमित है, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी है और तकनीकी संसाधन पर्याप्त नहीं हैं। सामाजिक दृष्टिकोण और संवेदनशीलता का अभाव भी शिक्षा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। इस प्रकार, भारत में श्रवण बाधित बच्चों की शिक्षा व्यवस्था प्रगतिशील है, लेकिन इसका समान लाभ देश के हर क्षेत्र में पहुँचाना अभी भी चुनौतीपूर्ण है। इसके लिए नीति-स्तरीय सुधार, सामाजिक जागरूकता और

संसाधनों का संतुलित वितरण आवश्यक है।

उपलब्ध शैक्षिक सुविधाएँ : भारत में श्रवण बाधित बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था को समावेशी और सुलभ बनाने के उद्देश्य से केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा अनेक शैक्षिक सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं। इन सुविधाओं का उद्देश्य न केवल शिक्षा का प्रसार करना है, बल्कि श्रवण बाधित बच्चों के सर्वांगीण विकास बौद्धिक, भाषाई, सामाजिक और भावनात्मक को सुनिश्चित करना भी है। प्रमुख शैक्षिक सुविधाएँ निम्नलिखित हैं:

1. विशेष विद्यालय : श्रवण बाधित बच्चों के लिए देशभर में अनेक विशेष विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, जहाँ शिक्षण की विधियाँ सामान्य विद्यालयों से भिन्न होती हैं। इन विद्यालयों में सांकेतिक भाषा (Sign Language), स्पीच थेरेपी, लिप रीडिंग (Lip Reading), तथा श्रवण उपकरणों (Hearing Devices) की सहायता से शिक्षा दी जाती है। शिक्षक बच्चों की व्यक्तिगत क्षमता और बाधा के स्तर के अनुसार शिक्षण रणनीतियाँ अपनाते हैं।

छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों में ऐसे विद्यालयों की संख्या में वृद्धि हो रही है, किन्तु अभी भी ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में इनकी पहुँच सीमित है।

2. श्रवण यंत्र और कॉखलियर इम्प्लांट : आधुनिक तकनीक के विकास से श्रवण बाधित बच्चों के लिए हियरिंग एड्स और कॉखलियर इम्प्लांट्स एक महत्वपूर्ण सहायता के रूप में उभरे हैं। ये उपकरण न केवल बच्चों की सुनने की क्षमता बढ़ाते हैं बल्कि उन्हें बोलने और संवाद स्थापित करने में भी सहायता करते हैं। सरकार द्वारा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) और असिस्टिव डिवाइस सप्लाई स्कीम के तहत निःशुल्क या रियायती दरों पर श्रवण यंत्र उपलब्ध कराए जाते हैं।

3. प्रशिक्षित शिक्षक : श्रवण बाधित बच्चों के शिक्षण के लिए Rehabilitation Council of India (RCI) द्वारा प्रशिक्षित विशेष शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं। ये शिक्षक ऑडिटरी वर्बल थैरेपी, विज़ुअल एड्स और मल्टी-मोडल टीचिंग स्ट्रेटेजीज़ का उपयोग करते हैं ताकि प्रत्येक छात्र की सीखने की गति और शैली के अनुरूप शिक्षा दी जा सके।

प्रशिक्षित शिक्षकों की उपस्थिति न केवल शैक्षणिक परिणामों में सुधार करती है बल्कि बच्चों के आत्मविश्वास और सामाजिक सहभागिता को भी बढ़ाती है।

4. सांकेतिक भाषा प्रशिक्षण : सांकेतिक भाषा श्रवण बाधित छात्रों के लिए संवाद का सबसे प्रभावी माध्यम है। भारत में Indian Sign Language Research and Training Centre (ISLRTC) द्वारा शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। अब एनसीईआरटी (NCERT) और एनसीईआरटी-डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी सांकेतिक भाषा के वीडियो लेक्चर और मॉड्यूल उपलब्ध हैं। इससे शिक्षक और विद्यार्थी दोनों इस भाषा में दक्ष हो रहे हैं, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता और समझ में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

5. सरकारी योजनाएँ : भारत सरकार और राज्य सरकारें श्रवण बाधित बच्चों की शिक्षा एवं पुनर्वास हेतु अनेक योजनाएँ संचालित कर रही हैं, जिनमें प्रमुख हैं :

- समावेशी शिक्षा : इस योजना के अंतर्गत विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को सामान्य विद्यालयों में पढ़ने का अवसर दिया जाता है। विशेष शिक्षकों की नियुक्ति और सहायता सामग्री की व्यवस्था भी की जाती है।
- सुगम्य भारत अभियान : इसका उद्देश्य विद्यालयों और शैक्षणिक परिसरों को Divyang-friendly बनाना है ताकि श्रवण बाधित और अन्य विकलांग बच्चे बिना भेदभाव के शिक्षा प्राप्त कर सकें।
- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) : यह कार्यक्रम जन्म से 18 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के माध्यम से सुनने-संबंधी विकारों की पहचान और उपचार की व्यवस्था करता है।
- डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स (DIKSHA, ePathshala, NIOS Online) : इन प्लेटफॉर्म्स पर विशेष रूप से श्रवण बाधित छात्रों के लिए सांकेतिक भाषा आधारित वीडियो सामग्री, विज़ुअल लेक्चर और इंटरैक्टिव लर्निंग टूल्स उपलब्ध कराए गए हैं। इससे दूरदराज के क्षेत्रों में भी शिक्षा सुलभ हो रही है।

6.पुनर्वास एवं परामर्श सेवाएँ : श्रवण बाधित बच्चों

के समग्र विकास हेतु विशेष विद्यालयों तथा सरकारी अस्पतालों में पुनर्वास और परामर्श सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन संस्थानों में प्रशिक्षित ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट और काउंसलर द्वारा नियमित रूप से मूल्यांकन, उपचार तथा मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। ऑडियोलॉजी सेवाओं के माध्यम से बच्चों की सुनने की क्षमता का परीक्षण किया जाता है और आवश्यकतानुसार हियरिंग एड या अन्य सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं। स्पीच थेरेपी सत्रों में बच्चों को उच्चारण, भाषा विकास और संप्रेषण कौशल सुधारने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है।

साथ ही, परामर्श सेवाएँ बच्चों एवं उनके अभिभावकों दोनों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती हैं। काउंसलिंग के माध्यम से माता-पिता को बच्चों की विशेष आवश्यकताओं, उनके व्यवहारिक एवं भावनात्मक पक्षों को समझने में सहायता मिलती है, जिससे परिवार का सहयोगी वातावरण विकसित होता है। इन सेवाओं का उद्देश्य न केवल बच्चों की शारीरिक सीमाओं की पूर्ति करना है, बल्कि उनके आत्मविश्वास, सामाजिक सहभागिता और आत्म-निर्भरता को भी बढ़ावा देना है। इस प्रकार, पुनर्वास एवं परामर्श सेवाएँ श्रवण बाधित बच्चों के सर्वांगीण विकास का आधार स्तंभ बनती हैं।

7. गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका : श्रवण बाधित बच्चों के शैक्षिक, सामाजिक और व्यावसायिक सशक्तिकरण में गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण रही है। ये संगठन न केवल सरकारी योजनाओं के पूरक के रूप में कार्य करते हैं, बल्कि जनजागरूकता, प्रशिक्षण और पुनर्वास के क्षेत्र में नवाचारपूर्ण पहल भी करते हैं। प्रमुख राष्ट्रीय संगठनों जैसे National Association of the Deaf (NAD), All India Federation of the Deaf (AIFD), तथा विभिन्न स्थानीय एवं क्षेत्रीय स्तर के NGOs श्रवण बाधित बच्चों के लिए शिक्षा, रोजगार प्रशिक्षण, काउंसलिंग, एवं सामाजिक एकीकरण से संबंधित विविध कार्यक्रम चला रहे हैं। ये संगठन विशेष शिक्षकों का प्रशिक्षण, सांकेतिक भाषा (Sign Language) का प्रसार, हियरिंग एड वितरण, तथा बच्चों और अभिभावकों के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता जैसी सेवाएँ भी उपलब्ध कराते हैं। कुछ संस्थाएँ श्रवण बाधित युवाओं के लिए रोजगारमूलक प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित कर रही हैं, जहाँ उन्हें कंप्यूटर, हस्तकला, कला, डिजाइनिंग आदि कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। साथ ही, NGOs समाज में संवेदनशीलता बढ़ाने और दिव्यांग अधिकारों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए जागरूकता अभियानों का संचालन भी करते हैं। इस प्रकार, भारत में श्रवण बाधित बच्चों के लिए शैक्षिक एवं सामाजिक सुविधाओं का एक सशक्त ढाँचा विकसित हुआ है, जो शिक्षा के अधिकार (Right to Education) को वास्तविकता में परिवर्तित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। तथापि, इन प्रयासों की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि स्थानीय स्तर पर इन योजनाओं का क्रियान्वयन कितनी तत्परता और पारदर्शिता से किया जा रहा है।

प्रमुख समस्याएँ : श्रवण बाधित बच्चों के शिक्षण और विकास के क्षेत्र में अनेक चुनौतियाँ अब भी विद्यमान हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं:

1. ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में विशेष विद्यालयों की गंभीर कमी।
2. प्रशिक्षित विशेष शिक्षकों, सांकेतिक भाषा अनुवादकों एवं मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताओं की उपलब्धता का अभाव।
3. हियरिंग एड, स्पीच थेरेपी उपकरण और अन्य तकनीकी संसाधनों की अत्यधिक लागत, जिससे निम्न आय वर्ग के परिवार लाभ नहीं उठा पाते।
4. परिवार और समाज में श्रवण बाधित बच्चों के प्रति पर्याप्त संवेदनशीलता और स्वीकार्यता का अभाव।
5. नीति स्तर पर बनी योजनाओं और कार्यक्रमों का सीमित एवं असमान क्रियान्वयन।
6. श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा एवं रोजगार में अवसरों की कमी।
7. समावेशी शिक्षा की अवधारणा का प्रभावी रूप से व्यवहार में न आ पाना।

सुझाव : श्रवण बाधित बच्चों के शैक्षिक अधिकारों

और सामाजिक समावेशन को सशक्त बनाने हेतु निम्न सुझाव उपयोगी हो सकते हैं :

1. मॉडल विशेष विद्यालयों की स्थापना: प्रत्येक जिले में कम-से-कम एक आधुनिक संसाधनों से युक्त मॉडल विशेष विद्यालय की स्थापना की जाए, जहाँ शिक्षा, थेरेपी और परामर्श की समेकित सेवाएँ उपलब्ध हों।
2. शिक्षक प्रशिक्षण का विस्तार : शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में श्रवण बाधित शिक्षा को अनिवार्य घटक बनाया जाए, ताकि सामान्य शिक्षक भी समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों को व्यवहार में लागू कर सकें।
3. तकनीकी संसाधनों की सुलभता : हियरिंग एड, कॉक्लियर इम्प्लांट, और अन्य सहायक उपकरणों को निःशुल्क या सब्सिडी दर पर उपलब्ध कराने की सरकारी नीति बनाई जाए।
4. जागरूकता अभियान : माता-पिता, समुदाय और विद्यालय स्तर पर नियमित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ, जिनसे समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण और सहयोगी वातावरण का निर्माण हो।
5. समावेशी शिक्षा का संवर्धन : सामान्य विद्यालयों में श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए विशेष शिक्षकों, सहायक तकनीकों, और भाषा-संवेदनशील कक्षाओं की व्यवस्था की जाए।
6. नीति एवं प्रशासनिक निगरानी : केंद्र और राज्य स्तर पर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निगरानी तंत्र (monitoring mechanism) विकसित किया जाए।
7. रोजगार अवसरों का विस्तार : श्रवण बाधित युवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और उद्योग जगत से साझेदारी कर रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया जाए।

निष्कर्ष : श्रवण बाधित बच्चों के लिए शिक्षा केवल एक मौलिक अधिकार नहीं, बल्कि उनके सर्वांगीण विकास, सामाजिक एकीकरण, और आत्मनिर्भरता का आधार है। शिक्षा ही उन्हें अपनी क्षमताओं को पहचानने, समाज में सक्रिय भूमिका निभाने और आत्म-सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर प्रदान करती है। भारत ने इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है समावेशी शिक्षा नीति, सुगम्य भारत अभियान, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, तथा डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्म जैसे प्रयासों ने श्रवण बाधित बच्चों के लिए शिक्षा के नए द्वार खोले हैं। विशेष विद्यालयों, प्रशिक्षित शिक्षकों, और सांकेतिक भाषा प्रशिक्षण जैसी व्यवस्थाओं ने इन बच्चों के शैक्षणिक और भावनात्मक विकास को सशक्त बनाया है। फिर भी, जमीनी स्तर पर अनेक चुनौतियाँ अब भी बनी हुई हैं ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में विद्यालयों की कमी, प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, संसाधनों की असमानता और सामाजिक संवेदनशीलता की कमी अभी भी प्रमुख बाधाएँ हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए केवल सरकारी योजनाएँ पर्याप्त नहीं हैं; बल्कि समाज, परिवार, शिक्षकों और स्थानीय समुदायों की साझी भागीदारी और संवेदनशील दृष्टिकोण आवश्यक है। भविष्य की दृष्टि से, यह आवश्यक है कि श्रवण बाधित बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा को और अधिक सुदृढ़ किया जाए, आधुनिक तकनीक जैसे स्मार्ट हियरिंग एड्स, वर्चुअल क्लासरूम, और सांकेतिक भाषा आधारित डिजिटल सामग्रीका अधिकाधिक उपयोग किया जाए। यदि शिक्षा प्रणाली में समानता, अवसर और सहानुभूति के तत्वों को एकीकृत किया जाए, तो ये बच्चे भी समाज की मुख्यधारा में न केवल सम्मिलित होंगे, बल्कि अपने योगदान से देश के विकास में सक्रिय भागीदार बनेंगे। इस प्रकार, समावेशी और तकनीकी शिक्षा ही श्रवण बाधित बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की सच्ची कुंजी है, जो उन्हें आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और सशक्त नागरिक के रूप में विकसित करने में सहायक सिद्ध होगी।

संदर्भ :

1. अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग हैंडीकैप्ड (AYJNIHH). (2022-23). वार्षिक रिपोर्ट. मुंबई: ए.वाई.जे.एन.आई.एच.एच.।
2. भारत सरकार. (2016). विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016. नई दिल्ली: भारत सरकार।
3. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार. (2023). समावेशी शिक्षा दिशा-निर्देश. नई दिल्ली: शिक्षा मंत्रालय।

4. एन.सी.ई.आर.टी. (NCERT). (2022). विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा (Education for Children with Special Needs). नई दिल्ली: एन.सी.ई.आर.टी.।
5. यूनेस्को (UNESCO). (2020). समावेशी शिक्षा: वैश्विक निगरानी रिपोर्ट (Inclusive Education: Global Monitoring Report). पेरिस: यूनेस्को।
6. रीहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया (RCI). (2021). विशेष शिक्षकों के लिए दिशानिर्देश (Guidelines for Special Education Teachers). नई दिल्ली: आर.सी.आई.।
7. नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज़ (NIEPID). (2021). वार्षिक रिपोर्ट. हैदराबाद: एन.आई.ई.पी.आई.डी.।
8. नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर द हियरिंग हैंडीकैप्ड (NIVH). (2022). श्रवण बाधित बच्चों के लिए कार्यक्रम और गतिविधियाँ. देहरादून: एन.आई.वी.एच.।
9. भारत सरकार, शिक्षा विभाग. (2020). समग्र शिक्षा अभियान दिशा-निर्देश. नई दिल्ली: शिक्षा विभाग।
10. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार. (2019). सुगम्य भारत अभियान: प्रगति रिपोर्ट. नई दिल्ली: भारत सरकार।
11. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO). (2020). बहरापन और श्रवण हानि: वैश्विक अनुमान (Deafness and Hearing Loss: Global Estimates). जिनेवा: डब्ल्यू.एच.ओ.।
12. इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर (ISLRTC). (2021). शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल. नई दिल्ली: आई.एस.एल.आर.टी.सी.।
13. शर्मा, रश्मि एवं सिंह, प्रवीण. (2021). "भारत में श्रवण बाधित बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा: चुनौतियाँ और अवसर." इंटरनेशनल जर्नल ऑफ स्पेशल एजुकेशन, 36(2), 45–60.
14. कुमार, सुनील. (2020). "श्रवण बाधित विद्यार्थियों की शिक्षा में सहायक प्रौद्योगिकी का उपयोग." जर्नल ऑफ डिसएबिलिटी स्टडीज़, 12(1), 25–38.
15. चौधरी, अरुणा एवं वर्मा, नीता. (2019). "भारत में श्रवण बाधित बच्चों पर समावेशी शिक्षा नीतियों का प्रभाव." एशियन जर्नल ऑफ इन्क्लूसिव एजुकेशन, 8(3), 15–32.
16. रमेश, के. (2018). "भारत में श्रवण बाधित बच्चों की शिक्षा में सहायता प्रदान करने में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका." इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क, 79(4), 567–582.
17. एन.सी.ई.आर.टी. (NCERT). (2021). विद्यालयों के लिए सांकेतिक भाषा पाठ्यक्रम (Sign Language Curriculum for Schools). नई दिल्ली: एन.सी.ई.आर.टी.।
18. छत्तीसगढ़ सरकार, स्कूल शिक्षा विभाग. (2022). छत्तीसगढ़ में समावेशी शिक्षा पर वार्षिक रिपोर्ट. रायपुर: राज्य शिक्षा विभाग।
19. दत्ता, सीमा एवं जोशी, रश्मि. (2020). "भारत में विशेष शिक्षा में तकनीकी हस्तक्षेप." जर्नल ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, 17(2), 88–105.

•